

5/1/23

12/1/23

पत्रावली पेश। प्राची वकील उपायित। अप्राची की तरफ से
 तस्लीमदार पीपल इस्तर उपायित। पत्रावली का शवलोकन
 किया गया। एकस प्राची व अप्राची सुनी गई। ग्राम लोक-दा
 के खसब संख्या 1717 वगवा 18233 हेक्टर भूमि संबंध
 में प्राची द्वारा एक वाद धारा 88, 188 RTA 1955 के तहत
 न्यायालय में लोखित है। प्राची की इस्तदुआ है कि मूल वाद के
 निस्तारण तक अत निवादात्म भूमि में प्राची को केवल
 न करने हेतु अलवाई निषेधाज्ञा जारी हो। प्राची द्वारा प्रसा
 वाद सप्त्यों द्वारा सिद्ध किया जाना है। परंतु इस स्तर पर
 अप्राची को अलवाई निषेधाज्ञा से वाकं कराना न्यायालय में
 उचित ^{जही} समझता है। अतः प्राची का प्रायनापत्र प्रेरति द्वारा
 212 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 ~~अधीन~~ (नीगर
 उर मॉके की पथास्थिति वगार वखने के संबंध में प्राची के
 प्रायना पत्र शवलोकन के आधार पर प्राची द्वारा प्रपना
 अधिकार, न्यायको द्वारा मूल वाद में सिद्ध करना है।



रा.मु.जो.

ख
प

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

अतः प्राथी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत द्वारा 212 राज. अश्लकारी
अधिनियम कारिज किया जात है पत्रावली के लाल मुद्रा
हो कर नम्बर के कम टोकर पत्रावली शामिल मूल
पत्रावली हो।

